4 12/17 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित। न्यायालय के निर्देश दिनांक 03 10/17 की पालना में वकील वादी द्वारा प्रासंगिक इंतकाल की कॉपी प्रस्तुत की गई, जिसका अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त इंतकाल सं. 7 दिनांक 27.03.92 स्वीकृत हो चुकने के पश्चात् हस्तगत पत्रावली के विचारण का कोई औचित्य शेष नहीं रहा है, क्योंकि चाहा गया अनुतोष वादी को प्राप्त हो चुका है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सि. प्र. सं. दिनांक 06.09.19 एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के नए वादपत्र प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वादी को इस विचाराधीन वाद को निष्प्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर

Scanned by CamScanner

बाद पृच्छांकन संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया।

4.12.19
(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner